

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 419/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या- 2022/530

प्रार्थी
आई.सी.आई.सी.आई. होम फाईनेन्स
कम्पनी लिमिटेड जिसका रजिस्टर्ड
कार्यालय आई.सी.आई.सी.आई. बैंक
टॉवर, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुम्बई-
400051 में स्थित व कार्यरत है एवं
जिसका एक शाखा कार्यालय द्वितीय
ब्ल, राजवंश निसान बिल्डिंग के
सामने, पटेल स्टेडियम बजरंग पैट्रोल
पम्प के पास जयपुर रोड अजमेर
राजस्थान 305001 पर स्थित है। जिसके
प्राधिकृत अधिकारी श्री नेम सिंह है।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. Mr. Mohammad Murad Address 1- 4
Guljarapura Ward No. 23 Nawan
Makrana, Nagaur, Rajasthan 341509
Address 2- Takiya Mazzid, Ward No. 27,
Kuchaman City, Nagaur Rajasthan
341508 Address 3- Manglana Road,
Makrana Nagaur, Rajasthan 341505
2. Smt. Shamim Bano Address 1- 4
Guljarapura Ward No. 23 Nawan
Makrana, Nagaur, Rajasthan 341509
Address 2- Takiya Mazzid, Ward No. 27,
Kuchaman City, Nagaur Rajasthan
341508
3. Mr. Mohammed Umar Address 1- 2
Takiya Kuchaman City, Nawan Makrana,
Nagaur, Rajasthan 341509 Address 2-
Takiya Mazzid, Ward No. 27, Kuchaman
City, Nagaur Rajasthan 341508

आदेश

दिनांक : 17-01-2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ।

वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक
ने अप्रार्थी/ऋणी को रुपये 8,00,000/- (अक्षरे आठ लाख रुपये मात्र) दिनांक 19.01.2014 का ऋण उपलब्ध
करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति- श्री मोहम्मद उमर
पुत्र श्री ताज मोहम्मद की एक सम्पत्ति जिसके पट्टा विलेख (स्वत्व अधिकार पत्र) जो कि कार्यालय
नगरपालिका मण्डल कुचामन सिटी (जिला नागौर) द्वारा जारी जिसका पट्टा क्रमांक-141, पत्रावली संख्या
35/2012 एवं जो दिनांक 22.04.2012 को जारी जो कि वार्ड नम्बर-27, ताकिया मस्जिद, गुलजारपुरा,
कुचामनसिटी, तहसील नावां, जिला नागौर, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी
सम्मलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2679.00 वर्ग फीट अर्थात् 297.66 वर्ग
गैज है। जिसकी चारो सीमाएं :- उत्तर में- श्री महबुब शाह का प्लॉट, दक्षिण में- 20 फीट चौड़ा रास्ता और
श्री कासम शाह का प्लॉट, पूर्व में- 20 फीट चौड़ा रास्ता और श्री शंकर पुरी का प्लॉट, पश्चिम में- 18 फीट
चौड़ा रास्ता एवं ताकिया मस्जिद, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक
दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से
उक्त खाते को दिनांक 04.03.2022 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में
रुपये 3,21,902/- (अक्षरे तीन लाख इक्कीस हजार नौ सौ दो रुपये) दिनांक 12.04.2022 तक व आगे का
ब्याज व खर्च आदि सहित राशि बकाया निकलते है।



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 21.04.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये एवं उक्त नोटिस का अखबारों में प्रकाशन करवाया गया परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण रुपये 3,21,902/- (अक्षरे तीन लाख इक्कीस हजार नौ सौ दो रूपये) दिनांक 12.04.2022 तक व आगे का ब्याज व खर्च आदि सहित राशि को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- श्री मोहम्मद उमर पुत्र श्री ताज मोहम्मद की एक सम्पत्ति जिसके पट्टा विलेख (स्वत्व अधिकार पत्र) जो कि कार्यालय नगरपालिका मण्डल कुचामन सिटी (जिला नागौर) द्वारा जारी जिसका पट्टा क्रमांक-141, पत्रावली संख्या 35/2012 एवं जो दिनांक 22.04.2012 को जारी जो कि वार्ड नम्बर-27, ताकिया मस्जिद, गुलजारपुरा, कुचामनसिटी, तहसील नावां, जिला नागौर, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2679.00 वर्ग फीट अर्थात् 297.66 वर्ग गज है। जिसकी चारो सीमाएं :- उत्तर में- श्री महबुब शाह का प्लॉट, दक्षिण में- 20 फीट चौड़ा रास्ता और श्री कासम शाह का प्लॉट, पूर्व में- 20 फीट चौड़ा रास्ता और श्री शंकर पुरी का प्लॉट, पश्चिम में- 18 फीट चौड़ा रास्ता एवं ताकिया मस्जिद, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से 8,00,000/- (अक्षरे आठ लाख रूपये मात्र) दिनांक 19.01.2014 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या जियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- श्री मोहम्मद उमर पुत्र श्री ताज मोहम्मद की एक सम्पत्ति जिसके पट्टा विलेख (स्वत्व अधिकार पत्र) जो कि कार्यालय नगरपालिका मण्डल कुचामन सिटी (जिला नागौर) द्वारा जारी जिसका पट्टा क्रमांक-141, पत्रावली संख्या 35/2012 एवं जो दिनांक 22.04.2012 को जारी जो कि वार्ड नम्बर-27, ताकिया मस्जिद, गुलजारपुरा, कुचामनसिटी, तहसील नावां, जिला नागौर, राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 2679.00 वर्ग फीट अर्थात् 297.66 वर्ग गज है। जिसकी चारो सीमाएं :- उत्तर में- श्री महबुब शाह का प्लॉट, दक्षिण में- 20 फीट चौड़ा रास्ता और श्री कासम शाह का प्लॉट, पूर्व में- 20 फीट चौड़ा रास्ता और श्री शंकर पुरी का प्लॉट, पश्चिम में- 18 फीट चौड़ा रास्ता एवं ताकिया मस्जिद, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर